कार्यालय उपनिदेशक,महिला अधिकारिता,जयपुर

रूम न.206 कलेक्ट्रेट केम्पस,जयपुर 0141–2200119 ईमेल–JAIPUR.WE@RAJASTHAN.GOV.IN

एफ(1)स नि/रा.अ.हाट/20–21/जयपुर/ 507 - 40 दिनांकः– 03-02-21

उपनिदेशक/सहायक निदेशक
महिला अधिकारिता,
समस्त।

विषय–राष्ट्रीय अमृता हाट हेतु जिले से 3 स्टॉल्स के नाम भिजवाने बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत महिला स्वयं सहायता समूहों को स्वरोजगार से जोड कर उन्हे आत्मनिर्भर व आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उदेश्य से महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों का विपणन के सुअवसर प्रदान करने के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित करता रहा है। प्रति वर्ष की भांति राष्ट्रीय अमृता हाट **दिनांक 05–14 मार्च 2021 तक शिल्पग्राम, जवाहर कला केंद्र, जयपुर** में आयोजित किया जा रहा है। इस मेले में SHG सदस्यों द्वारा स्वनिर्मित उत्पादों का प्रर्दशन एवं बिक्री की जाएगी।

उक्त मेले में भाग लेने के लिए प्रत्येक जिले को निःशुल्क स्टॉल्स का आंवटन किया जावेगा। एक स्टाल के साथ अधिकतम दो महिला आ सकेगी। अतः प्रत्येक जिले से 3 स्वयं सहायता समूहों के नाम भिजवाने का श्रम करावें।

3 समूह जिन उत्पाद/आइटम की स्टॉल्स भिजवाई जाएगी, की सूचना एवं समूह के नाम भिजवाने से पूर्व निम्न की जांच कर ली जावे–

- एक जिले से एक आइटम की एक से अधिक स्टॉल्स के नाम नहीं हो।
- स्टॉल्स के उत्पाद/आइटम उत्कृष्ट, आकर्षक एवं मार्केट में प्रचलित मांग के अनुसार हो।
- प्रत्येक स्टॉल में बिक्री किए जाने वाले सामान की मात्रा पर्याप्त हो ताकि स्टॉल में उत्पादों का अधिकाधिक डिस्पले हो सके।
- स्वयं सहायता समूह की महिला सदस्य विपणन/विक्रय कला की जानकार हो।
- स्टाल्स लेकर आने वाली SHG महिला के साथ आपके अथवा सीडीपीओ द्वारा जारी किया गया पत्र होना आवश्यक है, जिससे SHG एवं ब्लाक/जिले की पहचान हो सके एवं महिला को स्टाल आवंटित की जा सके। स्वयं सहायता समूह के नाम की बैंक पासबुक की clear छाया प्रति भी साथ लेकर आवे ,जिससे मेला समाप्ति पश्चात TA/DA का भुगतान सीधे SHG के खाते में किया जा सके। अन्यथा भुगतान नहीं किया जावेगा।
- अमृता हाट में भाग लेने वाली SHG, अमृता सोसायटी की सदस्य हो, यदि अभी तक उन्होनें सदस्यता ग्रहण नही की है तो आप उन्हें निर्धारित शुल्क लेकर नवीन निर्धारित नियमानुसार अमृता सोसायटी की सदस्य बनाकर ही हाट के लिए नामांकित करें, एवं महिलाये रसीद साथ लेकर आवें।
- स्टाल्स लेकर आने वाली महिलाये अपना बेनर, समूह की सील, बिल बुक एवं स्टाम्प पेड आवश्यक रूप से लेकर आवे।
- समूह की महिलाये स्वयं का पहचान का आई.डी. यथा आधार कार्ड, वोटर आई डी, लाईसेंस, राशन कार्ड आदि साथ लेकर आवें।
- पॉलिथीन थैलियों का इस्तेमाल वर्जित रहेगा। कागज/कपडे का बेंग सामग्री देने हेतु साथ लावें।
- कोविड–19 का पालन करते हुए मास्क का प्रयोग करना अनिवार्य होगा।

उक्त स्टॉल्स के नाम निम्न प्रारूप में दिनांक 15.02.2021 तक आवश्यक रूप से भिजवाना सुनिश्चित करावें–

क्र. स.	SHG का नाम एवं स्थान	महिला का नाम	उत्पाद का नाम	मो. न.	पूर्ण पता	बैक शाखा का नाम व पता	खाता संख्या	बैंक आईएफएससी कोड	विशेष विवरण

(डॉ.राजेश डोगीवाल)
उपनिदेशक
महिला अधिकारिता, जयपुर
दिनांकः– 03-02-21

एफ(1)स नि/रा.अ.हाट/20–21/जयपुर/ 541 - 43
प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. अति. निदेशक(SHG) महिला अधिकारिता विभाग राजस्थान जयपुर से निवेदन है कि निदेशालय स्तर से भी समस्त को निदेर्शित करवाने का श्रम करावें।
2. प्रोग्रामर महिला अधिकारिता,राजस्थान,जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।
3. रक्षित पत्रावली।

उपनिदेशक
महिला अधिकारिता,जयपुर